संख्या-23/2022/1153ई-2/तेरह-2022-39/2012-1586807

प्रेषक,

राजवीर सिंह

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ. दिनांक 20 जून, 2022**

विषय- मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर की क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 380 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर पर 1330 लाख लीटर किये जाने के संबंध में के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-178/**दो-प्रा.डी**.-33, **दिनांक** 27-05-2022 **एवं प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक दिनांक 14-06-2022 के कार्यवृत्त संख्या-1124ई**-2/**तेरह**-2022-1586807, **दिनांक** 15-06-2022 **का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**

2. **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक** 27-05-2022 **द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि. (आसवनी) धामपुर, जनपद बिजनौर की क्षमता** 250 **कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर** 380 **कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में** 350 **कार्यकारी दिवस के आधार पर** 875 **लाख लीटर से बढ़ाकर** 1330 **लाख लीटर किये जाने हेतु** 130 **कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का डुअल मोड प्लान्ट स्थापित किये जाने, जिसके अन्तर्गत** 130 **कि.ली. प्रतिदिन शीरे से रेक्टिफाइड स्प्रिट/एथनॉल स्प्रिट/एथनॉल अथवा** 100 **कि.ली. प्रतिदिन ग्रेन से रेक्टिफाइड स्प्रिट/एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा:-**

(क) आसवनी द्वारा विस्तारित क्षमता पर अल्कोहल उत्पादन किये जाने के पूर्व विस्तारित क्षमता के अनुरूप भारत सरकार से इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पेसो (पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से आवश्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिकशर्तों का पालन किया जायेगा।

(ख) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।